POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 26.05.2026

1. थाना नॉलेज पार्क पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 24.05.2026 को थाना नॉलेज पार्क क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तुगलपुर में एक किन्नर मनोरंजन शर्मा उर्फ चांदनी के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना नॉलेजपार्क पर अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया था।

कार्यवाही का विवरण--

दिनांक 26.05.2026 को थाना नॉलेजपार्क द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त अभिषेक उर्फ मोना उर्फ मानव पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम तालिम नगर, थाना हरदुआगंज, अलीगढ़ वर्तमान पता तुगलपुर, थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान सेक्टर-148 मेट्रो लाईन की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त अभिषेक उर्फ मोना को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अभिषेक उर्फ मोना उर्फ मानव पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम तालिम नगर, थाना हरदुआगंज, अलीगढ़ वर्तमान पता तुगलपुर, थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर, उम्र-26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 106/2026 धारा 103(1) बीएनएस, थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर

2. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हुई 2.10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल अकाउंट धारक 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 10.04.2026 को अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा स्वयं को एनआईए (NIA), पुणे का अधिकारी बताकर वादी को भ्रमित किया गया तथा उसके आधार कार्ड से संचालित बैंक खातों के टेरर फंडिंग में प्रयुक्त होने की झूठी जानकारी देकर गिरफ्तारी का भय दिखाया गया। अपराधियों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आरबीआई (RBI) के नाम से फर्जी पत्र एवं वारंट भेजकर वादी से कुल 2,10,00,000 रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **26.05.2026** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा अभिसूचना संकलन एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई करते हुए उक्त साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खाते के धारक (म्यूल अकाउंट होल्डर) अभियुक्त अमन कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी चरखी दादरी, हरियाणा को **गिरफ्तार** किया गया।

जांच में पाया गया कि अभियुक्त के बैंक खाते में उक्त साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 2.20 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। अभियुक्त के बैंक खाते का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन हेतु किया गया। अभियुक्तों के संयुक्त बैंक खातों में देश के विभिन्न राज्यों (उत्तर प्रदेश-01, केरल-01, राजस्थान-01, गुजरात-01, कर्नाटक-01 व महाराष्ट्र-03) में शिकायते दर्ज हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- अमन कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी जिला चरखी, दादरी (हरियाणा), उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0- 34/2026 धारा 308(2),318(4),319(2),336(3) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा सुझाव--

1. साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
2. "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पुलिस, CBI, ED या कोई भी सरकारी एजेंसी फोन/वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती।
3. यदि कोई खुद को पुलिस, CBI, ED, नारकोटिक्स या इनकम टैक्स अधिकारी बताकर डराए या डिजिटल अरेस्ट की बात करे, तो घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस या साइबर थाना को सूचना दें।
4. यदि कोई आपको अश्लील वीडियो, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ड्रग्स या किसी अपराध में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे, तो उसकी बातों में न आएं और तुरंत शिकायत करें।
5. OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/Credit Card नंबर, CVV, पासवर्ड या आधार-पैन की जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।
6. किसी भी व्यक्ति को कमीशन, किराया या लालच के बदले अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या मोबाइल नंबर उपयोग करने के लिए न दें। ऐसा खाता म्यूल अकाउंट (Mule Account) बन सकता है और साइबर अपराध में प्रयुक्त होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।